श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 16 अक्तूबर, 1984

सं. ओ.वि./एफ.डी./26-84/33148.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. कण्टीनेण्टल डिवाइस इण्डिया लि., 14/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या संख्या के श्रमिक पंजाब इण्डस्ट्रीयल एस्टेबलिशमेण्टस (नैशनल एण्ड फैस्टीवल होलीडेज एण्ड कैजुअल एण्ड सिक लीव) एक्ट 1965 के अन्तर्गत सिक लीव के पात्र बनते है ? यदि हां तो किस विवरण से ?

एम. सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 1 अक्तूबर, 1984

सं. ओ.वि./एफ.डी./149-84/37055.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ए० के० सिण्टैक्स प्रोडक्टस, प्रा० लि०, 14/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री चन्द्र कान्त तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-68/श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री चन्द्र कान्त की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 10 अक्तूबर, 1984

सं. ओ.वि./हिसार/64-83/37299.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़; (2) हरियाणा राज्य परिवहन हिसार के श्रमिक श्री ईश्वर सिंह ड्राईवर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई)-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम को

धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ईश्वर सिंह ड्राईवर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 16 अक्तूबर, 1984

सं. ओ.वि./रोहतक/146-82/38414.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बन्सल पेपर मिल्ज, टी/4, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बहादुरगढ़ (रोहतक), के श्रमिक श्री राजेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राजेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 17 अक्तूबर, 1984

सं. ओ. वि/एफ.डी./88-84/38419.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. कैलाश टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज, 3/3, सोहना रोड़, बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री मेवा राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-श्रम-84-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री मेवा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ वि/एफ. डी./88-84/38420.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. कैलाश टैक्स्टाईल इण्डस्ट्रीज, 3/3, सोहना रोड़, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री टीका राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-श्रम-84-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को, विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री टीका राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?